

7
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, जिला-चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण प्रार्थना पत्र- 54/2023

उनवान

शुभम धाकड़ पुत्र नेमीचन्द धाकड़ उर्फ निमकचन्द धाकड़ उग्र बालिग ग्राम लाडपुरा ग्राम पंचायत जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री मथुरा लाल पुत्र नाराण धाकड़ जाति धाकड़ उग्र बालिग निवासी ग्राम लाडपुरा ग्राम पंचायत जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
2. भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला-चित्तौड़गढ़।

.....विपक्षीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपरिथत – जितेन्द्र राठौर अभिभाषक प्रार्थी।

1 अर्जुन सिंह चुण्डावत अप्रार्थी।

02 परोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 31.07.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के सयुंक्त खातेकाशत की कृषि आराजीयात ग्राम लाडपुर ५०६० जालखेडा तहसील रावतभाटा में संवत २०७६-७९ के अनुसार खाता संख्या १२६ खसरा संख्या २८९, २९३, ३००, ३०३ कुल किता ०४ कुल रकबा १.७६है० है। जो खाते मे मुझ प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या ०१ मथुरालाल व अन्य घीसी बाई पुत्री रतना व भवानी बाई पुत्री रतना के खाते नाम दर्ज रिकार्ड है, घीसी बाई व भवानी बाई फौत हो चुकी है। उक्त आराजीयात के जमाबंदी रिकार्ड में प्रार्थी शुभम धाकड़ के पिता का नाम नेमीचन्द धाकड़ लिखा हुआ है, जबकि प्रार्थी शुभम धाकड़ के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व प्रार्थी शुभम धाकड़ के पिता के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम निमक चन्द धाकड़ लिखा हुआ है जो कि सही एवं सत्य है। जिसके कारण उक्त राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी शुभम धाकड़ अपने पिता का नाम निमक चन्द धाकड़ दर्ज करवाना चाहता है, क्योंकि नेमीचन्द व निमक चंद धाकड़ दोनो नाम के व्यक्ति प्रार्थी शुभम धाकड़ के पिता ही है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं है क्योंकि प्रार्थी के पिता के दो नाम के अलग अलग दस्तावेज होने के कारण उक्त जमीन आराजीयात पर बैंक से ऋण लेने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा अन्य कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है, जमाबंदी रिकार्ड में प्रार्थी शुभम धाकड़ के पिता के गलत नाम कि त्रुटि राजस्व कर्मचारी भूल व त्रुटिवश हुई है, इसलिए उपरोक्त वर्णित प्रार्थी के खाते में प्रार्थी शुभम धाकड़ के पिता का नाम निमक चन्द धाकड़ उर्फ नेमीचंद धाकड़ किये जाने हेतु इन्द्राज दुररुस्ती का यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम लाडपुर ५०६० जालखेडा तहसील रावतभाटा में संवत २०७६-७९ के अनुसार खाता संख्या १२६ खसरा संख्या २८९, २९३, ३००, ३०३ कुल किता ०४ कुल रकबा १.७६है० में प्रार्थी शुभम धाकड़ के पिता का नाम निमक चंद धाकड़ उर्फ नेमीचंद धाकड़ किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या ०१ की ओर से अधिकवक्ता ने जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक १७.१०.२०२३ को जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या ०२ तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ग्राम ५०६० जालखेडा तहसील रावतभाटा में संवत २०७६-७९ के अनुसार खाता संख्या १२६ खसरा संख्या २८९, २९३, ३००, ३०३ कुल किता ०४ कुल रकबा १.७६है० भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या ०१ मथुरालाल व अन्य सहखातेदार घीसी बाई पुत्री रतना व भवानी बाई पुत्री रतना के नाम



उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में नेमीचन्द दर्ज है जबकि प्रार्थी के दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस मार्केटीट, जाति प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी के पिता का नाम नेमीचन्द नहीं होकर निमकचन्द अंकित है। भूमि के सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर उनकी सहमति तथा प्रार्थी द्वारा साक्ष्य पेश कर दिये जाने के उपरान्त उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम नेमीचन्द के स्थान पर निमकचन्द उर्फ नेमीचन्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पिता का नाम निमकचन्द उर्फ नेमीचन्द राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। जिस पर वकील अप्रार्थी द्वारा खण्डन किया गया। तहसीलदार रावतभाटा मय ५०८० जालखेडा रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के पिता नाम नेमीचन्द के स्थान पर नेमीचन्द उर्फ निमकचन्द किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—आदेश—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ग्राम लाडपुर ५०८० जालखेडा तहसील रावतभाटा में संवत् २०७६-७९ के अनुसार खाता संख्या १२६ खसरा संख्या २८९, २९३, ३००, ३०३ कुल किता ०४ कुल रकबा १.७६है० भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम नेमीचन्द के स्थान पर नेमीचन्द उर्फ निमकचन्द किये जाने की इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक ३१.७.२०२४ को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।



(महेश गगोरिया) R.A.S.

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़